|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phone: 091-484 -2412300  Fax : 091-484-2668212 |  | E. Mail: [cift@ciftmail.org](mailto:cift@ciftmail.org)  Enk[ciftaris@sancharnet.in](mailto:ciftaris@sancharnet.in) |
| C:\Users\admin\Desktop\Santoh Alex\photo\images.png | **भा कृ अनु प - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्‍थान**  **ICAR-CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES TECHNOLOGY**  **सिफ्ट जंक्‍शन, मत्‍स्‍यपुरी पी.ओ, कोचिन – 682 029**  **CIFT Junction, Matsyapuri P.O., Cochin – 682 029** | C:\Users\admin\Desktop\Santoh Alex\photo\cift.jpg |

**संतान शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति का फार्म**

**Form for Reimbursement of Children Education Allowance**

**(संदर्भ/Ref :- का.ज्ञा.सं /O.M.No.12011/03/2008 स्था./Esst.(भत्ता/Allowance) दिनांक/Dated: 02/09/2008)**

1. भा कृ अनु प के कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :

Name & Designation of ICAR servant

1. बच्चे का नाम और जन्मतिथि :

Name of Child & Date of Birth

1. महाविद्यालय/विद्यालय का नाम जिसमें पढ़ रहा है :

Name of College/School in which studying

1. शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम,उक्त विद्यालय/महाविद्यालय जिससे संबद्ध है :

Name of Board of Education/University,the

Said School/College is affiliated

1. कक्षा जिसमें पढ़ रहा है और शैक्षिक वर्ष :

Class in which studying & Academic year

1. अदा किया गया कुल शिक्षा भत्ता :

(विवरण नीचे दिया गया है)

Total Education Allowance paid

(Details are given below)

1. शिक्षा शुल्क संपूर्ण वर्ष के लिए या 1/2/3/4 सत्र : रु.

Tuition fees for Ist/2nd/3rd/4th term or the

whole year

1. नोट बुक/पुस्तकों की खरीद : रु.

(प्रति शैक्षिक वर्ष में एक सेट प्रति बच्चा)

Purchase of Note Books/Text Books

(One set per child in a year)

1. यूनिफार्म की खरीद : रु.

(प्रति शैक्षिक वर्ष में दो सेट प्रति बच्चा)

Purchase of School Uniforms

(Two set per child in a year)

1. स्कूल जूतों की खरीद : रु.

(प्रति वर्ष एक सेट प्रति बच्चा)

Purchase of School shoes

(One set per child in a year) -------------------------------

कुल/Total

==================

1. प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य कुल राशि । : रु

(सी ई ए की प्रतिपूर्ति के लिए नियत

सीमा प्रति वर्ष प्रति बच्चा रु. 12,000/- है )

Total amount admissible for reimbursement

(Ceiling fixed reimbursement of CEA is

Rs.12,000/- per child per year)

**प्रमाणित किया जाता है कि/Certified that :-**

1. उपर्युक्त में दावा किए गये शिक्षा भत्ते का मैंने वास्तव में भुगतान किया है, जिसकी मूल रसीद संलग्न की गई हैं ।

the Education Allowance claimed above has been actually paid by me, for which , original receipts are enclosed

1. मेरी पत्नी/मेरा पति केंद्रीय सरकारी/भा कृ अनु प सेवक नहीं है।

my spouse is not a Central Govt./ICAR Servant

1. मेरी पत्नी/मेरा पति केंद्रीय सरकारी/भा कृ अनु प सेवक है और उसने हमारे बच्चे/बच्चों से संबंधिक

संतान शिक्षा भत्ते का दावा नहीं किया है ।

my spouse is a Central Govt./ICAR Servant and she/he has not claimed/will not claim

children’s educational allowance in respect of our child/children, from her/his office

1. क्रम संख्या 1 से 6 कॉलम में दी गई सूचना सच और सही हैं ।

information furnished at Sl.no.1 to 6 are true and correct.

दिनांक/Date: (नाम के साथ दावेदार के हस्ताक्षर)

(Signature of the claimant with name)